न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/126/2019

दौलतराम शर्मा, निवासी – देहली दरवाजा बाहर (चौहान स्कूल के पास) अलवर, राज0।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी डीग।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 05.12.2019**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री दौलतराम शर्मा, निवासी – देहली दरवाजा बाहर (चौहान स्कूल के पास) अलवर, राज0 ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 30.08.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी(उप जिला निर्वाचन अधिकारी)कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। लोक सूचना अधिकारी(उप जिला निर्वाचन अधिकारी)कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने पत्रांक 8369 दिनांक 06.09.2019 से वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी डीग से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी डीग को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया । उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/974 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीग से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी डीग से उनके पृष्ठांकन पत्र क्रमांक/926 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी डीग ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी डीग से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी डीग से प्राप्त पृष्ठांकन पत्र क्रमांक/926 दिनांक 22.11.2019 का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी डीग ने अपने पत्र क्रमांक/925 दिनांक 22.11.2019 से अपीलार्थी को वांछित सूचनाऐं भेज दी गई हैं। उपखण्ड अधिकारी डीग ने उक्त पत्र से अपीलांट को यह भी सूचित किया गया है कि उनके द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट है इस बावत कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर चाही गई सूचना का स्पष्ट अंकन कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं । हालांकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है फिर भी प्रार्थी स्पष्ट सूचना चाहने का इच्छुक हो तो सूचना सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त कर सकता है ।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी डीग से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी डीग को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2019.12.27 16:49:00 IST
Reason: SelfAttested